

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 407/2026  
अनवान : -

1. विनोद पुत्र दलीप जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम्

1. दलीप पुत्र रामजस जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. प्रहलाद पुत्र दलीप कुमार जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. सरोज पुत्री दलीप जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त0

अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी  
पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 04/06/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 217/195 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 12.4160 है0 भूमि में से 6461/31040 हिस्सा व खाता संख्या 677/649 के कुल खसरे 3 की कुल दादादी 21.9670 है0 भूमि में से 2665/43934 हिस्सा व खाता संख्या 216/200 के खसरा नं. 29/1 की 2.5290 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब0 हि0 ब0 हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 3 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पिता व भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 3 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 217/195 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 12.4160 है0 भूमि में से 6461/31040 हिस्सा व खाता संख्या 677/649 के कुल खसरे 3 की कुल दादादी 21.9670 है0 भूमि में से 2665/43934 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर नोहर के खाता संख्या 216/200 के खसरा नं. 29/1 की 2.5290 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है वादी जिसकी

*Rahul*  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 4 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।


बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब० हि० ब० हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 3 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पिता व भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 3 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 217/195 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 12.4160 है० भूमि में से 6461/31040 हिस्सा व खाता संख्या 677/649 के कुल खसरे 3 की कुल दादादी 21.9670 है० भूमि में से 2665/43934 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ब० हि० ब० काबिज है तथा रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर नोहर के खाता संख्या 216/200 के खसरा नं. 29/1 की 2.5290 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। प्रतिवादी सं० 1 ता 3

द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 217/195 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 12.4160 है० भूमि में से 6461/31040 हिस्सा व खाता संख्या 677/649 के कुल खसरे 3 की कुल दादादी 21.9670 है० भूमि में से 2665/43934 हिस्सा व खाता संख्या 216/200 के खसरा नं. 29/1 की 2.5290 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स० 1 के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है वादी का कथन है कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स० 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स० 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स० 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादीगण का प्रतिवादी स० 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि बाबत वादीगण व प्रतिवादी स० 1 का बाहमी राजीनामा हो चुका है एवं मुताबिक राजीनामा रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स० 125/123 की कुल 27.5180 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि के वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व प्रतिवादी स० 1 को 1/12 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स० 1 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 217/195 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 12.4160 है० भूमि में से 6461/31040 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 677/649 के कुल खसरे 3 की कुल दादादी 21.9670 है० भूमि में से 2665/43934 हिस्सा भूमि में उपरोक्त दोनो खातों की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है

  
उपसष्ट अधिकारी  
नोहर

तथा रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर नोहर के खाता संख्या 216/200 के खसरा नं. 29/1 की 2.5290 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक .....04/06/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 407/2026

अनवान : -

1. विनोद पुत्र दलीप जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।  
- वादी

बनाम्

1. दलीप पुत्र रामजस जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. प्रहलाद पुत्र दलीप कुमार जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. सरोज पुत्री दलीप जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 407 सन 2026 निर्णय दिनांक 04/06/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 217/195 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 12.4160 है0 भूमि में से 6461/31040 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 677/649 के कुल खसरे 3 की कुल दादादी 21.9670 है0 भूमि में से 2665/43934 हिस्सा भूमि में उपरोक्त दोनो खातो की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर नोहर के खाता संख्या 216/200 के खसरा नं. 29/1 की 2.5290 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/06/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर